



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 654 राँची, सोमवार,

14 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

अधिसूचना

17 नवम्बर, 2020

संख्या-3/प्रो0-02-03/2019 का. 5863-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में कार्यरत **श्री संजय कुमार प्रसाद** (कोटि क्रमांक-612/03, गृह जिला- पटना), संयुक्त सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक अपर सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-3/प्रो0-02-03/2019 का. 5864-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान- PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में कार्यरत **श्री राम कुमार सिन्हा** (कोटि क्रमांक-613/03, गृह जिला- नालन्दा), संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक अपर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-3/प्रो0-02-03/2019 का. 5865-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में कार्यरत **श्री आलोक त्रिवेदी** (कोटि क्रमांक-615/03, गृह जिला- पटना), संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक अपर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-3/प्रो0-02-03/2019 का. 5866-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में कार्यरत **श्री संजय सिन्हा** (कोटि क्रमांक-616/03, गृह जिला- नालन्दा) उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, देवघर को अपर सचिव स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक उनके धारित पद को अपर सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-3/प्रो0-02-03/2019 का. 5867-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान- PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में कार्यरत **श्री मनोज जायसवाल** (कोटि क्रमांक-619/03, गृह जिला- राँची), संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-3/प्रो0-02-03/2019 का. 5868/झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान- PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में कार्यरत **श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पोडा** (कोटि क्रमांक-648/03, गृह जिला- राँची), संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान- PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक अपर सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-3/प्रो0-02-03/2019 का. 5869-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान- PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में कार्यरत **श्री बाल किशुन मुण्डा** (कोटि क्रमांक-649/03, गृह जिला- राँची), संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को अपर सचिव स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान- PB-IV 37400-67000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ पदस्थापित पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी।

3. यह प्रोन्नति याचिका संख्या- W.P(S) No 3795/2003 एवं W.P(S) No 3792/2016 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
